उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 03.03.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपद महोबा की थाना अजनर पुलिस टीम ने रामजानकी मंदिर मूर्ति चोरी कांड का किया सफल अनावरण, 25-25 हजार रु. के 03 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गई मूर्तियाँ (अनुमानित कीमत ₹ 02 लाख 40 हजार), धनुष एवं सिंहासन बरामद-

जनपद महोबा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के दृढ़ नेतृत्व, कुशल रणनीति एवं सतत मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। स्पष्ट दिशा-निर्देशन एवं प्रभावी कार्ययोजना के अनुरूप अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर की पुलिस टीम ने त्वरित एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए ग्राम पुरवापनवाड़ी स्थित रामजानकी मंदिर में हुई मूर्ति चोरी की घटना का सफल अनावरण कर अपराधियों की साजिश का पर्दाफाश किया है।

विदित हो कि थाना अजनर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरवापनवाड़ी स्थित रामजानकी मंदिर से मूर्तियाँ चोरी होने के संबंध में दिनांक- 28.02.2026 को थाना अजनर में मु0अ0सं0 39/2026 धारा 305(डी)/331(4)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम ने आज दिनांक- 03.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर बेलाताल-श्रीनगर रोड स्थित ग्राम पुरवा पनवाड़ी मोड़ के पास से घटना को अंजाम देने वाले 25-25 हजार रुपये के इनामियां 03 नफर शातिर अभियुक्तों-

1. सचिन राजपूत उर्फ सच्चू (उम्र 19 वर्ष)
2. जितेन्द्र राजपूत (उम्र 25 वर्ष)
3. श्यामसुन्दर राजपूत (उम्र 21 वर्ष) समस्त निवासीगण ग्राम बमरारा, थाना चरखारी, जनपद महोबा

को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से रामजानकी मंदिर से चोरी गई श्रीराम, माँ जानकी एवं लक्ष्मण जी की कुल 03 पीली धातु की मूर्तियाँ (कीमत लगभग ₹2,40,000/-) मय श्रृंगार तथा एक पीली धातु का सिंहासन बरामद किया गया एवं आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व कार्यवाही में थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा इसी प्रकरण में 02 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से श्रीराम एवं लक्ष्मण जी की मूर्तियों के 02 पीली धातु के धनुष बरामद किए गए थे। यह कार्रवाई ग्राम पुरवापनवाड़ी स्थित पंचायत सचिवालय पार्क के पास की गई थी।

महोबा पुलिस की सतर्कता, त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप इस सनसनीखेज चोरी कांड का पूर्ण अनावरण करते हुए समस्त आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गई धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी अमूल्य धरोहर को सकुशल बरामद किया गया है।

बरामदगी का विवरण-

श्री रामजी, माँ जानकी व लक्ष्मण जी की पीली धातु की मूर्तियाँ मय ऋंगार के (कुल तीन मूर्ति) व एक सिंहासन पीली धातु अनुमानित कीमत ₹ 02 लाख 40 हजार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SO अजनर श्री सुभाषचन्द्र
2. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह 3. उ0नि0 आकाश मौर्य
4. कां0 नरेन्द्र कुमार 5. कां0 हरीओम 6. कां0 अमर द्विवेदी

थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफ़र अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

महोबा में पुलिस अधीक्षक, प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा थना स्तर पर टीम का गठन किया गया।

गठित टीम के व0उ0नि0 शिवदान सिंह व उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा एक नफर अभियुक्त राजकुमार राजपूत पुत्र सुदामा राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बरहरा थाना जलालपुर जिला हमीरपुर को ग्राम टिकरी विदावर जाने वाले पक्की सड़क मार्ग पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 16/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 शिवदान सिंह
2. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
3. हे0का0 संजय सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

राजकुमार राजपूत पुत्र सुदामा राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बरहरा थाना जलालपुर हमीरपुर

बरामदगी– एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.03.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 रामबाबू यादव मय हमराह कां0 सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राकेश कुमार खंगार पुत्र रामसेवक खंगार उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सरसेड़ थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर (म0प्र0) जिसके कब्जे से 01 अदद बोरी में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुये ग्राम चमर्रा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 27/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामबाबू यादव
2. कां0 सुशील कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

राकेश कुमार खंगार पुत्र रामसेवक खंगार उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सरसेड़ थाना हरपालपुर जनपद छतरपुर (म0प्र0)